

बाढ़ / तत्काल

कार्यालय

जिलाधिकारी,

औरैया

पत्रांक: 2136/दै0आ0-आपदा प्रबंधन-बाढ़/2021-22

दिनांक: अगस्त १५, 2021

विषय: मा० मुख्यमंत्री जी, उ०प्र० सरकार द्वारा दिनांक 09.08.2021 को जनपद औरैया में आई बाढ़ की समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशों की अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

उप जिलाधिकारी (नाम से)
औरैया / अजीतमल।

कृपया उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मा० मुख्यमंत्री जी, उ०प्र० सरकार द्वारा जनपद औरैया में आई बाढ़ की समीक्षा बैठक दिनांक 09.08.2021 को दिये गये निर्देशों की अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं कि

1. जो राजस्व ग्राम/मजरा सहित) जनपद में प्रति वर्ष यमुना नदी में जल स्तर चेतावनी विधूना 112/खतरे का बिन्दु 113 मीटर आ जाने पर ही जलमग्न हो जाते हैं, उन्हें ऊर्जाई वाले स्थानों पर भूमि आवंटित करने के निर्देश दिये गये हैं।

अस्तु उक्त के सम्बन्ध में निम्न बिन्दुओं का अनुपालन कर एक सप्ताह के अन्दर अनुपालन आख्या अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें—

1. राजस्व विभाग/सिचाई विभाग के साथ सर्वे कर लिया जाय कि कौन सा राजस्व ग्राम अथवा उसका कोई मजरा अथवा राजस्व ग्राम/मजरा के कुछ आवास सर्वाधिक नीचे बसे हुए है, जो यमुना नदी में 112/113 मीटर पानी आने पर ही जलमग्न हो जाते हैं।

2. ऐसे प्रभावित होने वाले राजस्व ग्राम/मजरा/नीचे बने हुए आवासों को ऊंचे स्थानों पर पुनरर्थापित किये जाने हेतु ग्रामसभा की भूमि विनियत कर ली जाय।

3. ऐसे ग्राम में ग्राम सभा की भूमि उपलब्ध है तो ऐसे ग्रामों/मजरों/नीचे बने हुए आवासों के निर्माण हेतु ग्राम सभा की बैठक बुलाकर प्रभावित परिवार को आवास अक्षल आवंटन किया जाय, जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण हेतु सूची बद्द किया जा सके।

4. जिन ग्रामों में ग्राम सभा की सामान्य भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं है, तो देख लिया जाय कि उसकी न्याय पंचायत में भूमि उपलब्ध हो तो उसका आवंटन किया जाय।

5. जिन ग्रामों/न्याय पंचायत में सुरक्षित श्रेणी/वन विभाग की भूमि उपलब्ध है तो किस श्रेणी है, उसे विनियम के आधार पर प्रभावित परिवारों को उपलब्ध कराये जाने हेतु ग्राम सभा में प्रस्ताव पास कराकर विनियम का पूर्ण प्रस्ताव प्रेषित किया जाय।

6. ऐसे ग्राम जहाँ केवल वन विभाग की ही भूमि उपलब्ध है, तो अभिलेखों के आधार पर सर्वे एस०डी०आ० फोरेस्ट/फोरेस्ट सेटिलमेंट आफीसर के साथ ग्राम सभा से प्रस्ताव पास करते हुए विनियम का प्रस्ताव भेजा जाय। ताकि शासन को उक्त प्रस्ताव भेजा जा सके।

उक्त बिन्दुओं की अनुपालन आख्या प्रत्येक दशा में दिनांक 22.08.2021 तक अनिवार्य रूप से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीया,

०८/८/२०२१

१५/०८

(खा एस० चौहान)
अपर जिलाधिकारी,
औरैया।

पत्रांक व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

१. जिलाधिकारी महोदय को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

१६/८/११

8/8/2021
३०/८/२२
बहसीलदार
औरैया

- प्रभागीय वनाधिकारी, औरैया को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
- अधिशासी अभियंता, सिचाई खण्ड औरैया स्थान दिबियापुर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

14/08

अपर जिलाधिकारी,
औरैया।


30/01/22
तहसीलदार
औरैया

निर्मालन कार्यक्रम

-2-

P.D.M.

341

2. बाढ़ प्रबन्धन

- संपदलालुकता ने 'माझ मुख्यमंत्री जी द्वारा जनपद औरिया व इटापा में बाढ़ के द्वारा भ्रमण के समय स्थानीय माझ जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाये गये विचु से शत-प्रतिशत अनुपालन किये जाने के निर्देश दिये गये।
- जनपद औरिया में विगत 10 वर्षों में बाढ़ के समय बाई-बाई जलमग्न हो रहे थामों की प्रभावित ओआदी को 'उच्चीकृत' रथलों पर बसाये जाने हेतु माझ मुख्यमंत्री जी द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम से एक सप्ताह में प्रत्यावर्त भए याटा-सोरिया व प्रभावित जनसेन्यों के साथ शासन को आविष्यार्थी रूप से प्रेपित किये जाने के निर्देश दिये गये।
- जनपद इटापा में बाढ़ के द्वारा भ्रमण माझ मुख्यमंत्री जी ने अपने भ्रमण के समय नावों व पुलिस बल की सेवा बढ़ाये जाने के निर्देश दिये गये थे, जिसके अनुपालन से शासन द्वारा अवाहत कराने विषयक अस्थिर प्रैषित हो जाय।
- बाढ़ उपराज्य पानी उत्तरों के बाहर प्रभावी होती है तो सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा साफ-सफाई, सोनीटाइजेशन व बैंडिंग पाउडर का छिड़काया कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये।
- बाढ़ से क्षतिग्रस्त कृषि योग्य भूमि, बोगा गाँवों कृषि योग्य क्षेत्रों, क्षतिग्रस्त मकान/झोपड़ी, पशुहानि जनहानि का अकलन तर राहत प्रदेशों जाने के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही के अभिलेखीयकरण कराये जाने के निर्देश सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी को दिये गये।

3. गौवंश संरक्षण स्थल सत्यापन

- 14-58-57 AM
25/8/2021
- DLRC/CRA
- मुख्य सचिव, उपराज्य शासन के कार्यालय पत्र संख्या-628 दिनांक 09 अगस्त, 2021 द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम से समस्त गौवंशों संरक्षण रथलों के सत्यापन में शाई गयी करियों यथा चार, भूसा, भानी, चिकित्सीय पलीहाण, शौधिश गणना पंजियों में प्रतिविस्त्र अध्यावधिक किया जाना व पशुओं के अन्तर्धान की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने की समीक्षा के क्रम में जनपद औरिया में 27, इटापा में 20, फर्लेखोबाद में 01 व कानपुर देहात में 09 गौवंश संरक्षण रथलों पर हरे चोरों की करीबी के प्रकरण को दूर किये जाने के निर्देश सभी सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी को दिये गये। साथ ही यह भी अपेक्षा की गयी कि समय-समय पर पशुओं के निधन पर कोर्सों का पता लिया जाने हेतु निर्देशित किया जाय।
 - संपदलालुकता ने पशुओं के शब्दों को निरुत्तरण समुचित हृण से कराये जाने के निर्देश दिये गये। समाचार पत्रों से इसके विपरीत समाचार प्रकाशित होने की दशा में सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों का उत्तरदायित निर्धारित किया जाय। इस सम्बन्ध में मुख्य पशु विकित्साधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी व नायन बहसीलदार की दीप गठित कर समय-समय पर पशुओं के निधन पर कोर्सों का पता लिया जाने हेतु निर्देशित किया जाय।
 - गौवंश संरक्षण रथले पर जलभराव, खेड़जा निर्माण, नादी एवं चरही, गोबर निरस्तारण, विघ्न क्षतिकरण की करीबी को दूर करने की साथ-साथ रथले पर साफ-सफाई की विशेष व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये। यह भी अपेक्षा की गयी कि केयर देकर की समुचित तैनाती कर मानदेह विशेष व्यवस्था सुनिश्चित करायां जाय।

30/6/22
नाहसीलदार
ओरिया

- ३४१
- गोदान वित्तीयों के भरण-पोषण हेतु जनपदों को वाचित अवशेष धनशारी आद्या जनपद फर्लखाबाद धनशारी रु० 589.38 लाख कानपुर नगर रु० 239.15 लाख और रु० 361.00 लाख कल्पना रु० 323.63 लाख इटावा रु० 508.00 लाख व कानपुर देहात में रु० 357.00 लाख की अवशेषकता के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही करते हुये बजाड उपलब्धता के सम्बन्ध में अपने सहर से पत्राचार सुनिश्चित किया जाय एवं दिनांक 16.03.2021 को मुख्य सचिव उप्र० शासन की प्रस्तुति चर्चाबल समीक्षा बैठक में इस विन्दु की भी संजातार्थ प्रस्तुत किया जाय।

A.D. 24. जल स्रोत संरक्षण

- समीक्षा के दौरान अवगत कराया गया कि दिनांक वीं जुलाई से 10 अगस्त 2021 तक ग्रथम घरण के रूप में प्रस्तुति कार्यवाही के अनुगाम सम्बन्धी आद्या समस्त जनपदों द्वारा उपलब्ध करा गयी गयी है, किन्तु आद्या के अवलोकन से पाया गया कि जनपदों द्वारा इस सम्बन्ध में समुचित ढंग से यथा गाटा तैयार करना स्थलीय सत्यापन कराया जाना व सत्यापन उपराज्ञा अतिक्रमित गाटा को कब्जा मूक्त करने के सम्बन्ध में कार्यवाही नहीं की गयी है। यह भी निर्देश दिये गये थे कि सम्बन्धित गाटा का अधिकारी भ्रमण केर फोटोग्राफ तैयार करें, किन्तु जनपद फर्लखाबाद, कल्पना व औरिया को छाड़कर अन्य जनपदों द्वारा अपनी आद्या के साथ सम्बन्धित गाटा के फोटोग्राफ संलग्न कर प्रेषित नहीं किये गये हैं। साथ ही जनपद फर्लखाबाद, कल्पना व औरिया द्वारा प्रेषित फोटोग्राफ पर सत्यापनकर्ता अधिकारी का नाम, पदनाम, भ्रमण का दिनांक व हस्ताक्षर अंकित नहीं किये गये हैं, जबकि भविष्य में स्वतं स्थलों को कब्जामूक्त कराने हेतु की गयी कार्यवाही के क्रम में मा० न्यायालय की वाद दायर होने की देश में प्रमाणिक अभिलेखीय साक्ष्य होगे। समस्त जिलाधिकारियों को इस सम्बन्ध में विस्तृत चरणबद्ध फोटो संघर्ष आद्या भेजने के निर्देश दिये गये, जिसमें सत्यापनकर्ता अधिकारी के नाम, पदनाम, भ्रमण द्वारा दिनांक व हस्ताक्षर अंकित हो।
- मा० सिविल न्यायालय व सा० आयुक्त न्यायालय में सरकारी क्रम में लम्बित वादों की प्रभावी पैरवी कर नियमित कराने का प्रयास किया जाय। जनपद स्तर पर मानीटरिंग सेल की बैठक में उक्त विन्दुओं को समिलित कर समीक्षा करायी जाय।
- जनपद कानपुर नगर के सन्दर्भ में निर्देश दिये गये कि उक्त श्रेणी में समावित गाटा का कानपुर विकास प्राधिकरण नार निगम व जिला प्रशासन के सीमान्तर्गत क्षेत्रिकाल का निर्धारण जिलाधिकारी साइकिक बैठक कर सुनिश्चित कराये।

5. आई०जी०ब०र०एस०

दिनांक 13.08.2021 तक की जांचित एवं डिफाल्टर संचयों की समीक्षा की गयी, जिसमें स्थिति निम्नवत् पार्थी थायी—

Sanjay 30/6/22
ठहरालदार
औरिया